

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 1870 / जी.एस.
दिनांक: 9 / 10 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक: 9370-79/सम्बद्धता/2006 दिनांक 95-09-2006 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-9673 की धारा-37(2) के अधीन महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल एवं समाजशास्त्र विषयों में तथा विज्ञान संकायान्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 09-09-2006 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

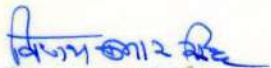
- 1- महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-259/सत्तर-2-2003-96 (62)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 2- यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-9673 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 3- अध्यक्ष/प्राचार्य, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूषण, पादरी बाजार, गोरखपुर।


(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव